¯Öशन निदेशालय (वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

नागरिक चार्टर

1. ¾ÖÂÖ 2000 ÃÖ कम्प्यूट्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत समूह “ख” ‹¾Ö “ग” के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालय के स्तर से तथा अखिल भारतीय ÃÖ¾ÖÖ ‹¾Ö ÃÖ´ÖÆ “क” के अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण निदेशालय स्तर पर किया जा रहा है…
2. उपरोक्त के अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, खादी ²ÖÖ›Ô, कृषि विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज आदि के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।
3. पेंशन निदेशालय / मण्डलीय पेंशन कार्यालयों से पेंशनरों के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालयाध्µÖक्ष / विभागाध्यक्ष से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात (सम्बन्धित विभागों द्वारा पेंशन प्रपत्रों को अधिकारी / कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पॉच माह पूर्व तथा पारिवारिक पेंशन के मामलों में कार्मिक की मृत्यु के एक माह ´Ö पेंशन स्वीकर्ता कार्यालय को अग्रसारित किये जाने हेतु निर्धारित है) पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाय तो उसे दूर करने के लिये सम्बन्धित विभाग को प्रपत्रों की प्राप्ति के दो माह के भीतर लिखा जाता है…
4. ¯Öशन निदेशालय / मण्डलीय पेंशन कार्या»Öयों में सभी प्रकार ÃÖ सही / आपत्ति निस्तारण के उपरान्त प्राप्त पेन्शन प्रपत्रों पर कार्यवाही कर प्रकरण प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर अथवा शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, तक ¯Öशन भुगतान आदेश निर्गत किया जाता है ।
5. पेंशन सम्बन्धी भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कोषाधिकारी / आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन का भुगतानÖ सुनिश्चित किया •ÖÖŸÖÖ Æ …
6. पेंशन स्वीकृति में कोई कठिनाई होने की दशा में सम्बन्धित शासकीय सेवक अथवा उसके परिजनों द्वारा अपने पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी से सीधे सम्पर्क कर अवगत कराया जा सकता है जिसका निराकरण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा एक निश्चित समयावधि निर्धारित कर किया जायेगा।
7. शासन द्वारा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में पेंशन अदालतों का गठन किया गया है जिनमें सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अथवा उसके लाभार्थी परिजन अपनी समस्यायें वाद पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। पेंशन अदालतों का आयोजन त्रैमासिक आधार पर होता है।
8. पेंशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु पेंशन निदेशालय की ¾Ö²ÖÃÖÖ‡™ **(pensiondirectorate.up.nic.in)** ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Æ ×•ÖÃÖ´Ö ¯Öशन से सम्बन्धित विभिन्न शासनादेशों / नियमों की अद्यावधिक जानकारी रखी गयी है।

निदेशक पेंशन,
ˆ¢Ö¸ ¯Ö¤¿Ö